न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– अधिग्रहण वाद सं0–01 / 2016–17 राज्य वनाम रसिक लाल सिंह, ज0वि0प्र0बिक्रेता

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2017	<u>आदेश</u> यह आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिग्रहण वाद सं0 01 / 2016–17 अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के पत्रांक 837 दिनांक 28.05.2016 के आलोक में प्रारंभ किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी के पत्रांक 162 दिनांक 23.05.2016 से पसराहा थाना कांड सं0–67 / 16 दिनांक 16.05.2016 7EC Act के तहत जन वितरण प्रणाली का जप्त खाद्यान्न 13 बोरा अरवा चावल प्रति बोरा 50 किलो ग्रान की दर से कुल 6.50 क्वीं0 चावल धारा 6ए के अन्तर्गत अधिग्रहण करने हेतु अनुशंसा किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 16.05.2016 को समय 10.00 बजे पूर्वाह्न में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी को सूचना मिली कि ग्राम सोनडिहा में कालाबजारी हेतु जन वितरण प्रणाली के चावल को ले जाया जा रहा है। उनके द्वारा पसराहा थाना को सूचना देते हुए सोनडीहा पहुँचे। भौतिक सत्यापन में टेम्पो नं0 BR.34P-2416 में लोड 13 प्लास्टिक के बारे में जन वितरण प्रणाली का चावल पाया गया। ग्रामीण कुमार गौरव पे0 रामजी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह पे0 राधे सिंह एवं अन्य ने बताया कि यह चावल डीलर रसिक लाल सिंह के जन वितरण प्रणाली दूकान से बेचने हेतु ले जाया जा रहा था। उक्त के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी द्वारा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता रसिक लाल सिंह, पंचायत पसराहा अनुज्ञप्ति सं0 56 जी / 07 के विरूद्ध 13 (तेरह) बोरा चावल प्रति बोरा 50 (पचास) किलो कुल वजन 6.50 क्वीं0 चावल कालाबाजारी करने के आरोप में पसराहा थाना कांड सं0 67 / 16, दिनांक 16.05.2016 के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया। उक्त जप्त खाद्यान्न को जिम्मेनामा पर श्री जय प्रकाश सिंह जन वितरण	

प्रणाली बिक्रेता पसराहा को दिया गया।

उक्त के आलोक में अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी तथा विपक्षी को कारण पृच्छा नोटिश की गयी कि क्यों नहीं उक्त के आलोक में 13 (तेरह) बोरा कुल 6.50 क्वीं0 अरवा चावल सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया जाए। दिनांक 13.06.2016 को पारित आदेश में जप्ती की अवस्था में उक्त अरवा चावल खराब नहीं हो इसके लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी को आदेश दिया गया कि उक्त अरवा चावल को खुले बाजार में नीलाम करें एवं इससे प्राप्त राशि अनुमंडल नजारत, गोगरी में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें।

साथ ही उक्त तिथि को ही जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को जप्त टेम्पू का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया।

रसिक लाल सिंह, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 56 जी/2007 ग्राम सोनडीहा, पंचायत पसराहा, थाना पसराहा, जिला खगड़िया नोटिश के बावजूद लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

BR-34P-2416 टेम्पु मालिक कामदेव यादव पे0 रामस्वरूप यादव ठाठा, पोस्ट+थाना–मानसी, जिला–खगड़िया की ओर से टेम्पु चालक पंकज कुमार के अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित वहस दिया गया है। लिखित वहस में उल्लेख किया गया है कि टेम्पू मालिक एक गरीब आदमी हैं और ऋण लेकर टेम्पू खरीदे है तथा टेम्पू चलाकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। घटना की तिथि को पसराहा रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर सोनडीहा गॉव आये थे और टेम्पू खाली करके अपने घर लौट रहे थे कि सोण्डीहा गॉव में पुलिस उन्हें तथा उनके टम्पु को पकड़ लिया तथा रसिक लाल, डीलर का चौदह बोरा चावल लादकर पसराहा थाना लाया गया। भाड़ा मांगने पर उन्हें तथा उनके गाड़ी को वर्णित वाद में आरोपित कर दिया गया। वे अपना जमानत न्यायालय से करा लिये हैं। पसराहा थाना में धूप और पानी के कारण गाड़ी का इंजन एवं गाड़ी का बॉडी खराब हो रहा है। उनका चालक अनुज्ञप्ति अद्यतन है तथा टेम्पु का सारा कागजात सही है एवं दुरस्त है। उनके द्वारा उक्त टेम्पु को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जप्त किये गये 13 बोर कुल 6.50 क्वींटल चावल कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था तथा प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में नोटिश के बावजूद उपस्थित होकर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से कुछ नहीं कहा गया है और न कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त जप्त चावल अधिग्रहण योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि 13 बोरा चावल कुल 6.50 क्वींटल डीलर रसिक लाल सिंह के जन वितरण प्रणाली दूकान से कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था। अतः उक्त चावल को अधिग्रहित किया जाता है।

दिनांक 13.06.2017 को पारित आदेश में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी को आदेश दिया गया था कि जप्ती अवस्था में चावल बर्बाद हो सकता है , इसलिए खुले बाजार में चावल की निलामी कर इससे प्राप्त राशि अनुमंडल नजारत, गोगरी में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें। लेकिन जप्त अरवा चावल को खुले बाजार में नीलामी से प्राप्त राशि को अनुमंडल नजारत गोगरी में जमा करने संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी से अप्राप्त है। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी से उक्त अधिग्रहित चावल को खुले बाजार में निलामी से प्राप्त राशि अनुमंडल नजारत गोगरी में जमा कराने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेख वद्ध करें।

जप्त टेम्पू के सम्बन्ध में जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से जप्त टेम्पू का मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस संबंध में मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। अतः इस स्तर पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता
खगड़िया

न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार)

समाहर्त्ता
खगड़िया

आदेश की क्रम सं० व तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
	02.	

डी0 वी0 नं0 336 / विधि, दिनांक 26-9-17

प्रतिलिपिः-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी / अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

26/9/17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।

26/9/17